अमेरिका की राजधानी में सीमित मताधिकार

वाशिंगटन, डी.सी. के निवासी नई दिल्ली की तरह पूर्ण लोकतंत्र चाहते हैं।

जेन वार्नर मल्होत्रा

साभार: डी.सी. वोट

वाशिंगटन, डी.सी. के मोटर वाहन विभाग ने नवंबर 2000 में शुरुआत के बाद से अब तक 'बिना प्रतिनिधित्व के कर वसूली' वाली 10 लाख से ज़्यादा लाइसेंस प्लेटें जारी की हैं।

हमारा परिवार जब वर्ष 2002 में मिज़ूरी के कैन्सस शहर से वाशिंगटन, डी.सी जाकर बस गया तो मेरी पांच वर्षीय बेटी ने मुझसे स्थानीय वाहनों की लाइसेंस प्लेट पर छपे इस स्लोगन का अर्थ पूछ लिया: ''प्रतिनिधित्व के बिना कर वसूली।''

''ऐसा है, अब हम पूरे देश की राजधानी में रह रहे हैं,'' मैंने कहा।

''किसी राज्य में नहीं। और, इसका मतलब है, संसद में हमारे सेनेटर या कांग्रेस में मतदान कर सकने वाला प्रतिनिधि नहीं हैं।''

''तो?''

''तो हम अपने कानून नहीं बना सकते। फिर भी हमें कर भुगतान करना पड़ता है।''

''क्या यह ठीक है?'' उसने पूछा।

बच्चे किसी मुद्दे की तह तक तुरंत पहुंच जाते हैं। हम पहले की तुलना में अपनी सरकार के बहुत करीब आ चुके थे, लेकिन इस कोशिश में हमने इसमें अपना स्थान खो दिया।

मैंने उसे समझाया, ''चलो, इस बारे में और अधिक पता लगाते हैं और देखते हैं, उस बारे में हमारा क्या सोचना है। लोकतंत्र के बारे में जानने के लिए हमारे देश की राजधानी से अच्छी और कौन-सी जगह हो सकती है?''

राष्ट्रपति चुनाव को वाशिंगटन, डी.सी. से बेहतर कौन जान सकता है? चुनाव का मौसम वाशिंगटन के लिए मानसून की तरह है- मुश्किल भरा, बेहद प्यारा, ताकत का अहसास कराता और अनुमान से परे। दोस्त लोग परिणाम साथ-साथ देखने के लिए रात्रिकालीन चुनावी पार्टियों में शामिल होते हैं ताकि पता लग सके कि व्हाइट हाउस में अब कौन-सा नया पड़ोसी आएगा। अपने आसपास के मतदान केंद्रों में देर शाम तक राष्ट्रपति के लिए अपना मत डालने वाले वाशिंगटन वासी इस विशेषाधिकार को हल्के रूप में नहीं लेते। उन्हें मतदान का यह अधिकार वर्ष 1961 में मिला था। नवंबर में जब बाकी अमेरिका में मतदान शुरू हो जाएगा तो लोग दो वर्ष की अवधि के लिए कांग्रेस के लिए प्रतिनिधि, या कई राज्यों में, छह वर्ष की अवधि के लिए अपने दो में से एक सेनेटर के निर्वाचन में मदद देंगे। लेकिन, कोलम्बिया जिले को वर्ष 1800 में किसी राज्य के हिस्से के रूप में नहीं बल्कि संघीय सीमा क्षेत्र के रूप में बनाया गया, इसलिए अमेरिकी संविधान की परिभाषा के अनुसार इस जिले के निवासी कांग्रेस में प्रतिनिधि नहीं भेज सकते- यानी राष्ट्रीय विधान मंडल के उच्च सदन में इनका कोई सेनेटर नहीं होगा। केवल निचले सदन प्रतिनिधि सभा में मात्र एक ऐसा प्रतिनिधि होगा जिसे मतदान का अधिकार नहीं होगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए मतदान का विशेष अधिकार वर्ष 1950 तथा 1960 के दशक के नागरिक अधिकार आंदोलन के परिणामस्वरूप संविधान के 23 वें संशोधन के रूप में स्वीकार किया गया था।

अमेरिका के कुछ अन्य भागों के भी प्रतिनिधि नहीं होते हैं, जैसे प्रशांत महासागर में स्थित गुआम के अमेरिकी द्वीप समूहों के वासी और कैरेबियाई सागर में स्थित प्युएर्टोरिको। लेकिन ये संघीय आयकर नहीं देते जबकि वाशिंगटन, डी.सी. के निवासी संघीय आय-कर का भुगतान करते हैं। इसके अतिरिक्त, शहर के समस्त स्थानीय कानूनों और इसके बजट को अंतिम रूप से कांग्रेस स्वीकृति प्रदान करती है, इसके बावजूद वाशिंगटन, डी.सी. के निवासियों के लिए कोई स्वशासन नहीं है। ''प्रतिनिधित्व के बिना कराधान!'' यह 232 वर्ष पुरानी ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ अमेरिकी लोगों की आपत्ति के बारे में प्राथमिक स्कूल की इतिहास की पुस्तक का कोई पाठ नहीं है, बल्कि अमेरिका की राजधानी के निवासियों के लिए यह स्लोगन आज भी उतना ही प्रासंगिक है।

राष्ट्रीय विधान मंडल में राजधानी के नागरिकों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं। यह सुना हुआ सा नहीं लगता? वर्ष 1991 तक नई दिल्ली और वाशिंगटन, डी.सी. दोनों की ही नहीं बल्कि अर्जेंटीना, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, मेक्सिको और वेनेजुएला जैसे कई अन्य देशों के राजधानी क्षेत्र की यही समस्या थी। इन देशों ने भी अमेरिका की तरह संघीय जिले बनाए और राजधानी के निवासियों को सीमित अधिकार

फ्रैंकलिन मार्टिन © पै. पू. हैकर्स्ट्रैक्ट पू.

फ्रैंकलिन मार्टिन © पै. पू. हैकर्स्ट्रैक्ट पू.

बिल्कुल बाएं: ''कर का भुगतान-लेकिन प्रतिनिधित्व से इनकार'' विरोध प्रदर्शन के दौरान वाशिंगटन, डी. सी. के निवासी अपने संघीय आयकर रिटर्न फ़ॉर्म की प्रतियां जलाते हुए।

बाएं: स्कूल विदाउट वाल्स की विद्यार्थी सारा कॉक्स (बाएं), मॉली स्लॉस और नोरा स्लॉस वाशिंगटन, डी.सी. के लोगों के मताधिकार के पक्ष में एक रैली के दौरान वाशिंगटन में कैपिटॅल बिल्डिंग के पास लोगों को उत्साहित करते हुए।

प्रदान किए। लेकिन, पिछले अनेक दशकों में इनमें से हरेक देश ने अपनी राजधानी में मतदान अधिकार बढ़ाए हैं और स्वशासन प्रदान किया है (जैसे भारत में वर्ष 1991 में संविधान के 69 वे संशोधन से)।

लेकिन, अमेरिका की राजधानी राष्ट्रीय विधानमंडल में आज भी अपनी आवाज़ से वंचित है। यह समस्या पैदा कैसे हो गई? यह अब क्यों बनी हुई है? इसका समाधान कैसे होगा? जब हम वहां बस गए तो हमने इन सवालों के बारे में सोचा।

मैंने एक कांग्रेस सदस्य और दो सेनेटरों के प्रतिनिधित्व को सीधे-सीधे लोकतांत्रिक अधिकार मान लिया था और सोचा था, यह मुझसे कभी छीना नहीं जा सकता। हम एक साल जर्मनी में रहे थे। तब भी मिज़ूरी के निवासी की हैसियत से अनुपस्थिति में भी मतदान का हमारा अधिकार बना रहा। मैं जब 18 वर्ष की हो गई तो हर साल अपने प्रतिनिधियों को किसी न किसी मुद्दे पर अपनी राय भेजने लगी, भले ही मुझे छपे-छपाए पत्र के रूप में जवाब मिलता।

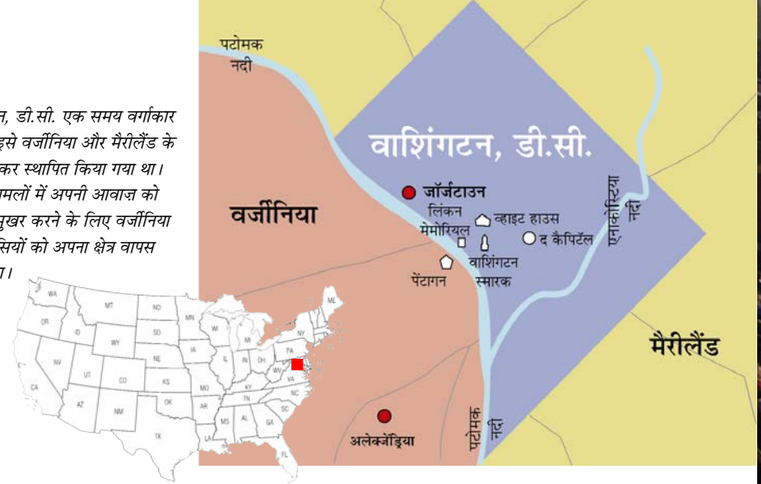

वाशिंगटन, डी.सी. एक समय वर्गाकार था और इसे वर्जीनिया और मैरीलैंड के हिस्से लेकर स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय मामलों में अपनी आवाज़ को फिर से मुखर करने के लिए वर्जीनिया के निवासियों को अपना क्षेत्र वापस मिल गया।

अब संसदीय कार्यालयों के साथ अधिकांश पत्र व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया जाता है जिसमें ई-मेल भेजने हेतु प्रतिनिधि के अधिकार क्षेत्र के ज़िप कोड की ज़रूरत पड़ती है। वांशिगटन, डी.सी. के निवासी संसद में अपने मताधिकार का प्रयोग न कर सकने वाले अपने प्रतिनिधि को पत्र भेज सकते हैं। वर्तमान में डेमोक्रेटिक पार्टी के एलेनॅर होम्स नॉर्टन ऐसे ही सदस्य हैं। लेकिन, सेनेटर तक कैसे पहुंचें? पूर्व सेनेट कर्मचारी जेनिफर स्मलसन का कहना है, ''आप नियमित डाक से पत्र भेज सकते हैं जो सेनेट कर्मचारियों की मेज तक पहुंच जाएगा। हो सकता है, उसे खोलकर पढ़ भी लिया जाए। क्या इसका रिकॉर्ड भी रखा जाएगा? क्या भेजने वाले व्यक्ति को इसका जवाब भी मिलेगा? शायद नहीं। मेरे अनुभव के अनुसार तो निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य प्राथमिकता पाते हैं।''

चूंकि हमारा कोई सदस्य कांग्रेस में नहीं था जिसे मैं पत्र भेज सकती, इसलिए मैंने लीग ऑफ विमेन वोटर्स की मदद ली। इसकी स्थापना वर्ष 1920 में मतदान का नया अधिकार प्राप्त करने वाली महिलाओं को उम्मीदवारों तथा चुनाव के मुद्दों की जानकारी देने के लिए की गई थी। लीग किसी पार्टी से संबद्ध नहीं है और आधारभूत तथा गैर मुनाफे वाला संगठन है जो मतदाता को जानकारी प्रदान करने के साथ ही उसके हितों की रक्षा में मदद करता है। वर्ष 1938 से यह लीग वाशिंगटन, डी.सी. के निवासियों के लिए स्व-शासन की पद्धति का समर्थन कर रही है।

लीग की एडवोकेसी मामलों की वरिष्ठ निदेशक लॉयड लियोनार्ड कहती हैं, ''प्रत्येक व्यक्ति सामान्यत: प्रतिनिधित्व के पक्ष में है। लेकिन, कई लोग प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के खास तौर-तरीकों के पक्ष में नहीं हैं।''

एक मुद्दा यह है कि अमेरिकी संविधान में राजधानी जिले की स्थिति का स्पष्ट वर्णन किया गया है लेकिन इस दस्तावेज़ के निर्माताओं ने इसे जानबूझ कर इस तरह तैयार किया है कि इसमें कोई भी परिवर्तन करना बहुत कठिन है। केवल संशोधन के जरिए ही ऐसा किया जा सकता है। इसमें वर्षों लग जाते हैं और फिर इसे तीन-चौथाई राज्य विधान-मंडल का अनुमोदन भी चाहिए। अनेक लोग, जिन्होंने वाशिंगटन, डी.सी. निवासियों के मताधिकार को बढ़ाने संबंधी विधेयकों का विरोध किया, हो सकता है इसके संभावित परिणाम का विरोध न करते बशर्ते कि संवैधानिक संशोधन से इतर परिवर्तन के प्रयास न किए जाएं।

स्थानीय लीग ऑफ विमेन वोटर्स 'कोलंबिया जिले को जानिए' गाइड बुक प्रकाशित करती है जिसमें वाशिंगटन, डी.सी. के जटिल अतीत और अनूठी वर्तमान स्थिति की विस्तृत जानकारी दी जाती है। इस गाइड बुक के अनुसार वर्ष 1783 में जब संविधान लिखा जा रहा था, तब फिलाडेल्फिया में कांग्रेस की एक बैठक के दौरान क्रांति युद्ध के नाराज भूतपूर्व सैनिकों के एक ग्रुप ने कहते हैं कि पिछला वेतन पाने के लिए प्रतिनिधियों को धमकी दी। इस घटना ने शायद किसी भी राज्य की सीमा से बाहर एक तटस्थ और सुरक्षित राजधानी शहर स्थापित करने की इच्छा को बल प्रदान किया हो। इस प्रकार संविधान के आर्टिकल 1, सेक्शन 8 के अंतर्गत कांग्रेस को ''किन्हीं भी परिस्थितियों में विशेष कानून बनाने'' की शक्ति मिल गई ताकि वे जो जिला बनाना चाहते थे, उसमें अमेरिकी सत्ता का केंद्र स्थापित कर सकें। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने राजधानी के लिए जो स्थान चुना, वर्ष 1791 में मैरीलैंड तथा वर्जीनिया दोनों राज्यों ने उसका सत्तांतरण कर दिया। वह चौकोर भूभाग जो प्रत्येक ओर से 16 किलोमीटर था, 1 दिसंबर 1800 को राजधानी बन गया। राजधानी क्षेत्र के दो शहरों-जार्जटाउन तथा अलैक्जैंड्रिया के निर्वाचित मेयर तथा शहर परिषदें यथावत बनी रहीं। लेकिन वर्ष 1801 में संसद के एक विधेयक से, जिस पर तीव्र बहस हुई, संघीय सीमा को दो काउंटियों तथा अलैक्जैंड्रिया में विभाजित कर दिया गया। कांग्रेस की जिले पर विशेष कानून की संवैधानिक शक्ति का यह पहला उदाहरण था। इस प्रक्रिया में, जिले के निवासियों ने मैरीलैंड या वर्जीनिया के निवासियों के रूप में अमेरिकी सेनेटरों, प्रतिनिधियों या राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मत देने का अधिकार खो दिया। वर्षों की हताशा, राष्ट्रीय विधान मंडल में अपनी आवाज खो देने और सीमित स्थानीय नियंत्रण के कारण अलैक्जैंड्रिया वर्जीनिया राज्य को लौटा दिया गया। इस प्रकार मैरीलैंड का मूल हिस्सा ही शेष रह गया जो आज राजधानी क्षेत्र कहलाता है।

इन तमाम वर्षों के दौरान कांग्रेस ने कभी-कभी वाशिंगटन, डी.सी. के निवासियों को स्वशासन के सीमित अधिकार भी दिए और राजनीतिक माहौल बदलने के साथ उन्हें वापस ले लिया। वर्ष 1871 से 1874 तक वाशिंगटन, डी.सी. में जनता द्वारा निर्वाचित निचला सदन और प्रतिनिधि सभा में एक प्रतिनिधि भी होता था जिसे अपना मत देने का अधिकार नहीं था। लेकिन, जब नई नगर सरकार ने शहर के सौंदर्यीकरण पर ज़रूरत से अधिक धन व्यय कर डाला तो कांग्रेस ने अगले 100 वर्षों तक स्वशासन का यह प्रयोग बंद कर दिया।

वर्ष 1961 में किए गए संवैधानिक संशोधन के तहत वाशिंगटन, डी.सी. के निवासियों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का अधिकार मिला था, लेकिन कांग्रेस में मतदान के अधिकार से वंचित एक और प्रतिनिधि का अधिकार उन्हें वर्ष 1970 में जाकर मिला। वर्ष 1973 में वाशिंगटन, डी.सी. स्वशासन अधिनियम को स्वीकृति मिली, जिसके तहत वहां के निवासियों को एक मेयर और एक परिषद यानी काउंसिल चुनने का अधिकार मिला लेकिन जिले और स्थानीय कानून का अंतिम अधिकार कांग्रेस के ही पास रहा।

'जिले को जानिए' में दी गई जानकारी के अनुसार ''स्वशासन का विरोध करने वालों के तर्क संविधान बनाने वालों की नीयत की व्याख्याओं, अधिकारों के हस्तांतरण की वैधता और राजधानी शहर में संघीय रुचि पर आधारित थे।'' जो अधिनियम 23 वां संशोधन बना उसमें मूल रूप से राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के साथ ही सदन तथा सेनेट में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था थी। उस पर कांग्रेस में बहस के दौरान कई प्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे सरकार की तटस्थता पर फर्क पड़ सकता है। कुछ प्रतिनिधियों का कहना था कि ऐसा जिला भी राज्य की ही तरह हो जाएगा, जिसमें शहरी मुद्दों पर कहीं ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और अन्य महानगरीय क्षेत्र अथवा अमेरिका के अन्य सीमा क्षेत्र भी संसदीय सीटों की मांग कर सकते हैं।

वर्ष 1978 में लीग ऑफ विमेन वोटर्स ने वाशिंगटन, डी.सी. के निवासियों के लिए किसी राज्य

गेटी एलायंस © ए.पी. - डब्ल्यू.डब्ल्यू.पी.

साभार: कांग्रेस सदस्य एलीनॅर होम्स नॉर्टन

ऊपर: संविधान के अनुरूप राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश 28 जनवरी 2008 को कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन में आखिरी स्टेट ऑफ़ द यूनियन भाषण देते हुए। वाशिंगटन डी.सी. के निवासी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाल सकते हैं, लेकिन प्रतिनिधि नहीं।

बाएं: वाशिंगटन, डी.सी. की गैर-मताधिकार प्रतिनिधि एलेनॅर होम्स नॉर्टन मार्च 2008 में भारत यात्रा के दौरान।

भारत-अमेरिका संबंध: आगे की राह

अमेरिकी फ़ुलब्राइट स्कॉलर पॉल केरेसी का कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में चाहे कोई भी जीते, इसका अमेरिका-भारत संबंधों पर बहुत कम असर पड़ेगा। केरेसी ने पिछले दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय में छह माह तक छात्रों को राजनीतिक सिद्धांत विषय की पढ़ाई कराई।

केरेसी ने नई दिल्ली में भारत के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों से कहा, ''चाहे कोई भी पार्टी सत्ता संभाले, वर्तमान संबंध आगे भी यथावत चलते रहेंगे। हम देखेंगे कि अमेरिका-भारत भागीदारी मज़बूत होती जाएगी।''

केरेसी ने पूर्वानुमान लगाते हुए कहा, ''अमेरिका के अगले राष्ट्रपति भी अमेरिकी विदेश नीति में भारत और पाकिस्तान का अंतर इसी तरह बनाए रखेंगे।'' उन्होंने कहा, ''भारत के साथ संबंध लगातार मज़बूत होंगे और पाकिस्तान के प्रति नीति में लगातार चिंता बनी रहेगी।''

आखिर में केरेसी ने इस ओर भी आगाह किया कि कभी-कभी अमेरिकी प्रशासन में तब्दीली से थोड़ा अलगाव भी हो जाता है और सरकार की वैश्विक समस्याओं में रुचि उतनी नहीं रहती तथा सैनिक एवं राजनयिक मामलों में वह थोड़ा पीछे हट जाती है। लेकिन वह राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में अग्रिम पंक्ति के उम्मीदवारों के विभिन्न विचारों और चुनाव से इस दूरी के समय इसके विस्तृत, अनिश्चित स्वरूप के कारण यह पूर्वानुमान नहीं लगा पा रहे कि क्या ऐसा होगा।

केरेसी अमेरिका की एयरफ़ोर्स अकादमी के स्कॉलर्स प्रोग्राम के निदेशक तथा सह-संस्थापक और राजनीति विज्ञान के प्रोफ़ेसर हैं। **- एल.एस.एच.**

ज़्यादा जानकारी के लिए:

लीग ऑफ विमेन वोटर्स

http://www.lwv.org/

वर्ष 2008 के चुनावों के लिए मतदाता मार्गदर्शन

http://www.dnet.org/

वाशिंगटन, डी.सी. स्वशासन संगठन

http://www.dcvote.org/

के निवासियों की तरह मतदान की अनुमति देने हेतु संविधान में संशोधन के प्रयासों में भरपूर मदद की। मताधिकार संशोधन प्रतिनिधि सभा तथा सेनेट दोनों में स्वीकार कर लिया गया, लेकिन वर्ष 1985 तक 38 राज्य विधान मंडलों में से केवल 16 ने इस संशोधन को स्वीकृति प्रदान की, जब अनुमोदन की अवधि समाप्त हो गई।

एक ओर जहां वाशिंगटन के निवासियों के प्रतिनिधि सभा में वोट देने का अनेक कांग्रेस सदस्य समर्थन करते हैं, वहीं राज्य के दर्ज़े की बात का समर्थन कम होता है क्योंकि ऐसा करने पर ऊपरी सदन में एक ही शहर से दो सेनेटर हो जाएंगे जबकि उसमें देश भर से केवल 100 सदस्य होते हैं। हालांकि वाशिंगटन, डी.सी. की आबादी वायोमिंग राज्य से अधिक है, लेकिन इस जिले में किसी राज्य की जैसी भौगोलिक विविधता तथा शहरी व ग्रामीण दोनों प्रकार के क्षेत्र नहीं हैं। यह बात अलग है कि संविधान में राज्य की ऐसी परिभाषाएं नहीं दी गई हैं।

वाशिंगटन, डी.सी. के इतिहासकार मार्क डेविड रिचर्ड्स कहते हैं, ''200 वर्षों से जो लोग इस स्थिति को समझ रहे हैं, वे इसे एक विरोधाभास के रूप में स्वीकार करते आ रहे हैं। नियमानुसार इस बात से सभी सहमत हैं कि एक व्यक्ति का अर्थ है एक वोट, लेकिन इसके समाधान पर कांग्रेस में बहस चलती आ रही है। और, राजनेता जिस चीज़ का समर्थन करना चाहते हैं, वह एक अलग कहानी है।''

लीग ऑफ विमेन वोटर्स द्वारा एक और समाधान के रूप में डी.सी. मताधिकार अधिनियम का समर्थन किया गया है जिससे डी.सी. के डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि को प्रतिनिधि सभा में पूर्ण मत प्राप्त होगा। साथ ही रिपब्लिकन झुकाव वाले यूटा राज्य को भी कांग्रेस में एक सीट और मिल जाएगी। यह अधिनियम वर्ष 2000 में सदन में पास हो गया लेकिन थोड़े से अंतर के कारण सेनेट में गिर गया। रिपब्लिकन पार्टी के सेनेट अल्पसंख्यक नेता मिच मैक्कोनल का तर्क है कि यह संवैधानिक रूप से कमज़ोर व्यवस्था है। वह कहते हैं, ''अगर हम वहां के निवासियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना चाहते हैं तो हमें संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए।'' राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डेमोक्रेटिक पार्टी के सेनेटर बराक ओबामा और हिलेरी क्लिंटन ने इस विधेयक के पक्ष में और रिपब्लिकन सेनेटर जॉन मैक्केन ने इसके खिलाफ अपना मत दिया।

शैक्षिक सलाह तथा एडवोकेसी देने वाले तथा जिले के लिए पूर्ण मताधिकार प्राप्त करने के लिए समर्पित संगठन डीसी वोट के संचार निदेशक केविन काइगर कहते हैं, ''आदर्श परिस्थितियों में तो सबसे उचित समाधान जिसे समर्थन भी मिलने की आशा है, संशोधन ही है- ठीक वैसे ही जैसे डी.सी. को राष्ट्रपति चुनाव का मताधिकार मिला। एक समान संवैधानिक अधिकार संशोधन में वाशिंगटन, डी.सी. के निवासियों को राज्यों में रहने वाले नागरिकों के बराबर समझना होगा। और, स्पष्ट कहा जाए तो यह भी देखना होगा कि अन्य देशों ने नियमों में इस प्रकार की विसंगति का समाधान कैसे किया। अमेरिका उस उदाहरण का अनुसरण कर सकता है।''

हो सकता है, भारत का समाधान एक मॉडल के रूप में काम आ जाए।

***जेन वार्नर मल्होत्रा** ने यह लेख वाशिंगटन, डी.सी. से लिखा है जहां वह और उनके भारतीय अमेरिकी पति पिछले दो दशकों से आते-जाते और रहते आए हैं।*

महिला मतदाता लीग

लीग ऑफ विमेन वोटर्स की स्थापना मताधिकार विस्तार के पक्षधरों ने वर्ष 1920 में नया मताधिकार प्राप्त करने वाली महिला मतदाताओं की मदद के लिए की थी। लीग बुनियादी स्तर पर काम करने वाला राष्ट्रीय संगठन है और अमेरिकी लोकतंत्र का आधार बन चुका है। यह महिलाओं और पुरुषों का एक खुला संगठन है जो किसी पार्टी से नहीं जुड़ा है। यह आम नीति संबंधी मुद्दों के स्पष्टीकरण में मदद करता है तथा सरकार में हर स्तर पर नागरिकों को सूचित करने और उनकी हिस्सेदारी को बढ़ावा देता है। हालांकि, लीग किसी सार्वजनिक पद के लिए उम्मीदवारों का न तो पक्ष लेता है और न विरोध करता है, फिर भी यह पूरी तरह राजनीतिक संगठन है। यह सूचना और समर्थन के जरिए स्थानीय तथा राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करता है।

राष्ट्रपति चुनाव से पूर्व के तमाम महीनों में लीग के सदस्य देश भर में उम्मीदवारों के बीच बहस आयोजित कराने, मतदाता मार्गदर्शन और नए मतदाताओं के पंजीकरण जैसे कामों में स्वेच्छापूर्वक हज़ारों घंटे का समय देते हैं।